



कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 द्वारा दिनांक 16/03/2020 को जारी Notification/ Advisory क्रमांक 343/Confdl./2020/II-15-08/2004 (Pt.-B) के माध्यम से जारी गाईडलाईन के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय भवन परिसर में संस्थित कार्यवाहियों की विवरणिका/Minutes दिनांक 21/05/2020-

1. जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु समस्त 03 प्रवेश द्वारों में से 01 मात्र प्रवेश द्वार को खोला गया है एवं वहां पर भी किसी भी पक्षकार / अनावश्यक लोगों के प्रवेश निषेध हेतु पुलिस बल की ड्युटी लगाई गई। उक्त प्रवेश द्वार में से मात्र ऐसे अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति प्रदाय की जा रही है जो या तो अपने ड्रेस में हो या फिर उनके पास बार संघ पहचान पत्र हो। उक्त सूचना को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रत्येक न्यायिक कर्मचारी हेतु अपने कार्यालयीन आई0डी0 कार्ड के साथ ही न्यायालय में प्रवेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सूचना को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर को **E-Filing** के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया एवं **VC** के माध्यम से ही सुनवाई की प्रक्रिया के पालन बाबत अधिवक्ताओं के सहयोग हेतु पृथक से **VC** कक्ष को तैयार किया गया, जहां वर्तमान में एक साथ 06 अधिवक्ताओं को **VC** की सुविधा उपलब्ध कराई गई है व उक्त संबंध में जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के सचिव श्री रवि पाण्डेय को अवगत कराये जाने के साथ ही अन्य समस्त अधिवक्ताओं को **SMS** के माध्यम से सूचना प्रदान की गई।
4. जिला न्यायालय भवन परिसर के भीतर 03 प्रमुख स्थानों पर सेनेटाईजर व **Thermal Scanner** से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का तापमान लिया जा रहा है व उनके हाथ को सेनेजाईर से धुलवाया जा रहा है।
5. जिला न्यायालय परिसर, समस्त कक्षों, एवं प्रसाधन कक्षों की साफ – सफाई एवं दवाई के छिड़काव नगर निगम से कराया गया एवं उक्त हेतु नजारत अनुभाग को यह निर्देशित किया गया कि आगामी 31 मई तक नियमित अंतराल में उपरोक्तानुसार साफ – सफाई एवं दवाई के छिड़काव का कार्य लगातार संस्थित किया जावे।
6. जिला न्यायालय परिसर के भीतर प्रत्येक व्यक्ति हेतु मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
7. इस न्यायिक जिला स्थापना हेतु कुल 09 **Thermal Scanner** क्रय किया गया है, जिसमें से 03 नग **Thermal Scanner** जिला न्यायालय में उपयोग हेतु रखा गया है व 05नग **Thermal Scanner** अधीनस्थ बाह्य न्यायालयों को आबंटित किया गया है।
8. जिला न्यायालय भवन बिलासपुर के समस्त न्यायालय कक्षों हेतु पर्याप्त सेनेजाईर अविलंब क्रय किये जाने हेतु जिला नाजिर को निर्देशित किया गया।
9. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार न्यायिक जिला स्थापना बिलासपुर के समस्त न्यायिक अधिकारियों के लीगल एड कैंप के संचालन को आगामी आदेशपर्यंत तक प्रतिबंधित किया गया है व उन्हें भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से बचने की सलाह दी गई।

  
(डॉ० विनोद कुमार भास्कर)

न्यायालय प्रबंधक

जिला एवं सत्र न्यायालय  
बिलासपुर(छ0ग0)

  
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

अध्यक्ष

कोरोना वायरस (Covid – 19) के रोकथाम हेतु  
जिला न्यायालय में गठित समिति  
बिलासपुर(छ0ग0)